दिनांक 04.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 07/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

वामा सारथी (उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन) द्वारा उ0प्र0 पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु Tata 1mg एवं Apollo Hospital के साथ महत्वपूर्ण MoU हस्ताक्षर तथा AYUSH विभाग के साथ समन्वय

आज दिनांक 04.12.2025 को पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद ऑडीटोरियम में वामा सारथी (उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन) द्वारा पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य कल्याण हेतु Tata 1mg एवं Apollo Hospital के साथ समझौता-ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षर किए गए तथा AYUSH विभाग के साथ समन्वय के तहत सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्षा वामा सारथी श्रीमती मीनाक्षी सिंह (IRS) एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण द्वारा की गई।

मुख्य प्रावधान

1- Tata 1mg MoU — 07 दिसम्बर 2025 से प्रथम चरण में 09 जनपदों की पुलिस लाइंस में डायग्नोस्टिक कैंप लगाए जाएंगे जहाँ उच्च गुणवत्ता वाली जाँचें अत्यंत रियायती और CGHS दरों पर उपलब्ध होंगी।

2-Apollo Hospital MoU — महिला स्वास्थ्य को सशक्त करने हेतु 40 वर्ष से अधिक आयु की पुलिस परिवार की महिलाओं के लिए 5,000 हेल्थ कार्ड्स उपलब्ध कराए गए हैं। कार्ड के माध्यम से पैप स्मीयर, मैमोग्राम और स्त्री-स्वास्थ्य संबंधी जाँचें 31 मार्च 2026 तक कराई जा सकेंगी।

3- AYUSH विभाग समन्वय — प्रत्येक जनपद में मासिक होम्योपैथी वेलनेस कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहाँ निःशुल्क परामर्श एवं औषधियाँ उपलब्ध होंगी।

अध्यक्षा वामा सारथी श्रीमती मीनाक्षी सिंह का वक्तव्य

अपने संबोधन में अध्यक्षा वामा सारथी श्रीमती मीनाक्षी सिंह ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, Tata 1mg, Apollo Medics प्रतिनिधियों एवं वामा परिवार की सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि आज पुलिस परिवार के स्वास्थ्य कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हुई है। पुलिसकर्मी 24×7 कर्तव्य-पालन में समर्पित रहते हैं, ऐसे में पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण की जिम्मेदारी वामा सारथी ने उठायी है। उन्होंने कहा कि यह एमओयू केवल औपचारिक हस्ताक्षर नहीं, बल्कि पुलिस परिवार के स्वास्थ्य, सुरक्षा और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हैं। उन्होंने आगामी समय में पुलिस लाइंस में स्थायी कलेक्शन सेंटर व क्वालिटी फार्मेसी की स्थापना की अपेक्षा व्यक्त की।

उन्होंने बताया कि वामा द्वारा हाल ही में मेधावी बच्चों का सम्मान, वामा संवाद में 1700 महिलाओं की सहभागिता तथा यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ कौशल प्रशिक्षण की तैयारियाँ — महिलाओं के आत्मनिर्भरता अभियान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 का वक्तव्य

अपने सम्बोधन में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण ने कहा कि उनकी कार्यभार ग्रहण के समय निर्धारित 10 प्राथमिकताओं में पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारों का वेलफेयर एक प्रमुख स्तंभ है।

उन्होंने पिछले छह महीनों में वामा सारथी द्वारा की गई सराहनीय पहलों का उल्लेख किया, जिनमें प्रत्येक जनपद में वेलफेयर ऑफिसर्स की नियुक्ति तथा 30–31 जिलों में आयोजित स्वास्थ्य शिविर, जिनसे लगभग 10,000 पुलिस परिवारों को लाभ मिला, विशेष रूप से उल्लेखनीय बताया।

उन्होंने कहा कि भविष्य में इन सेवाओं को और अधिक जिलों तक पहुँचाने का लक्ष्य है। उन्होंने वर्तमान जीवनशैली, प्रदूषण, मिलावट और पुलिस सेवा की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के संदर्भ में समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक बताया।

उन्होंने वामा वालंटियर्स को वेलफेयर ऑफिसर्स, वामा सारथी और पुलिस परिवारों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया और पुलिस परिवारों से अपील की कि वे उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम लाभ लें तथा अपने सुझाव प्रेषित करें।

अन्य प्रमुख बिंदु

कार्यक्रम में लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, 32वीं एवं 35वीं वाहिनी PAC की पुलिस परिवार की महिलाएँ तथा 43 वामा वालंटियर्स उपस्थित रहे।

अध्यक्षा वामा सारथी द्वारा 10 महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड वितरित किए गए।

Apollo Medics की चेयरपर्सन डॉ० विनीता दास ने स्त्री-रोग जांच, मेमोग्राम और कैंसर जागरूकता पर उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया।

कार्यक्रम में Tata 1mg के सीनियर वाइस-प्रेजिडेंट श्री शांतनु घोष, नेशनल हेड लेबोरेट्री डॉ. अर्पिता राय, Apollo Hospital के MD/CEO डॉ. मयंक सोमानी, चेयरपर्सन डॉ. विनीता दास, वामा सारथी की पदाधिकारी डॉ. ब्रजरानी स्वर्णकार, डॉ. चेतना गुप्ता, डॉ. चारू गाबा मौजूद रहे।

कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के GSO श्री शलभ माथुर द्वारा किया गया।

दिनांक 04.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 08/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>एस0टी0एफ0अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य अलग–अलग ब्राण्ड की 13812 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार।</u>

दिनांक 03–12–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को अलग–अलग ब्राण्ड की 13812 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1– सुशील कुमार पुत्र श्री जगदीश राम निवासी ग्राम–दादिया स्यूल, पो0–स्यूलखण्ड, तहसील–जनसावा कोटला, जिला कांगड़ा, हिमांचल प्रदेश।

<u>बरामदगीः–</u>

1– **13,812 बोतल विभिन्न ब्राण्ड की अवैध अंग्रेजी शराब।**
(ROYAL STAG BARREL SELECT WHISKEY ब्राण्ड की 2052 बोतल, OLD HABBIT WHISKEY ब्राण्ड की 7488 PET बोतल, ALL SEASONS GOLDEN COLLECTION RESERVE WHISKEY ब्राण्ड की 3840 PET बोतल, BLACK BY BACARDI RUM ब्राण्ड की 432 बोतल)

2– 01 अदद आयशर ट्रक सं0 PB65 AH3597

3– 5700/– रूपये नगद।

4– 01 अदद मोबाईल फोन।

5– 01 अदद डीएल।

6– आलू की बोरी।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः</u>

दिनांक 03–12–2025 समय 22.35 बजे सायं टोल प्लाजा सीतापुर रोड थाना इटौंजा, जनपद–लखनऊ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को प्रदेश के विभिन्न जनपदों के रास्ते बिहार राज्य में अवैध शराब की तस्करी होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा, उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह यादव, मु0आ0 प्रभात कुमार, विजेन्द्र नाथ राय, शशांक सिंह, नीरज कुमार, अमित यादव एसटीएफ लखनऊ की टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि आलू की बोरियों के बीच में चण्डीगढ़ से अवैध शराब छिपाकर अवैध तरीके से बिहार राज्य में सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा आबकारी टीम व स्थानीय थाना क्षेत्र इटौंजा की पुलिस के साथ टोल प्लाजा पर थाना क्षेत्र इटौंजा, जनपद लखनऊ से 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उनका एक गिरोह है, जो बिहार राज्य में शराब बन्दी होने के कारण बिहार में अवैध रूप से शराब की सप्लाई करता है। पंजाब एवं चण्डीगढ़ राज्य से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब प्राप्त करते है जिसे बिहार राज्य के अलग–अलग जनपदों में सप्लाई करते है। इस बार यह अवैध शराब चण्डीगढ़ निवासी कपिल वर्मा ने लोड कराया था, जिसे बिहार पहॅुचने पर यह पता चलता कि यह माल किसे और कहॉ देना है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 226/2025 धारा 61(2)/318(4).बीएनएस व 60/63/72 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>एस0टी0एफ–जिला बुरहानपुर (म0प्र0) से हत्या के अभियोग में वांछित रू0 30,000/– का पुरस्कार घोषित व थाना अछनेरा आगरा से वांछित हिस्ट्रीशीटर हुसन सिंह आगरा से गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 04–12–2025 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को थाना लालबाग जिला बुरहानपुर (म0प्र0) में पंजीकृत मु0अ0सं0 225/2024 धारा 302/201/120बी/34 भादवि में वांछित रू0 30,000/– का पुरस्कार घोषित एवं थाना अछनेरा आगरा से वांछित हिस्ट्रीशीट हुसन सिंह उर्फ फौजी को आगरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–</u>

1– हुसन सिंह उर्फ फौजी पुत्र श्री गंगाराम सिंह निवासी ग्राम कचौरा, थाना अछनेरा, जिला आगरा।

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समय–</u> रायभा मन्दिर के पास, थाना क्षेत्र अछनेरा, कमिश्नरेट आगरा। दिनांक 04–12–2025 समय 15:45 बजे।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ फील्ड इकाई आगरा के निकट पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त के क्रम में निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा, मु0आ0 प्रशान्त कुमार, मु0आ0 ब्रजराज सिंह, मु0आ0 विवेक कुमार सिंह, मु0आ0 अंकित गुप्ता, आरक्षी प्रदीप चौधरी, एसटीएफ टीम जनपद आगरा में भ्रमणशील थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना अछनेरा आगरा से हिस्ट्रीशीटर अपराधी जो विगत समय से थाना लालबाग जनपद बुरहानपुर मध्यप्रदेश से हत्या के अभियोग मे रू0 30,000/– का पुरस्कार घोषित है, रायभा मन्दिर के पास मौजूद है, अगर जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है, इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा तत्काल स्थानीय पुलिस व थाना लालबाग जनपद बुरहानपुर की टीम को साथ लेकर अभियुक्त हुसन सिंह उर्फ फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त हुसन सिंह उर्फ फौजी ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष–2007 मे भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। वर्ष–2013 में भारतीय सेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। इसके विरूद्ध जनपद आगरा में कई अभियोग दर्ज थे, जिसके लिए इसने जिला बुराहानपुर मध्यप्रदेश से निलेष नाम के एक व्यक्ति की हत्या करके उसकी लाष को जला दिया तथा उसके पास अपना आई कार्ड व अन्य सामान रख दिया, जिससे कि यह प्रतीत हो कि मृत्य व्यक्ति यह स्वयं (हुसन सिंह) है। जिसके बाद पुलिस या किसी अन्य द्वारा इसकी तलाष न की जाये। इस घटना को अंजाम देने के बाद यह भागकर मुम्बई चला गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना अछनेरा, कमिश्नरेट आगरा में मु0अ0सं0 338/2020 धारा 323/341/506 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस व थाना लालबाग जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की जायेगी।

अभियुक्त हुसन सिंह उर्फ फौजी पुत्र गंगाराम सिंह उपरोक्त का ज्ञात अपराधिक इतिहास।

क0स0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1	559/2009	307/452/504/506 भांदवि0	अछनेरा	आगरा
2	542/2012	395 भादवि0	अछनेरा	आगरा
3	081/2013	394/411 भादवि	अछनेरा	आगरा
4	122/2013	02/03 गैगस्टर एक्ट	अछनेरा	आगरा
5	225/2024	302/201/120बी/34 भादवि	लालबाग	बुरहानपुर म0प्र0
6	448/2013	03/25 आर्म्स एक्ट	चिकसाना	भरतपुर राज0
7	338/2020	323/341/506 भादवि	अछनेरा	आगरा
8	943/2015	02/03 गैग0 एक्ट	शाहगंज	आगरा

जनपद अलीगढ़/थाना टप्पल

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 03.12.2025 को थाना टप्पल, स्वॉट व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ शाका घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना टप्पल पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मथुरा, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना टप्पल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—ओमप्रकाश उर्फ शाका निवासी ग्राम जलालपुर कस्बा जट्टारी थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **जनपद कुशीनगर/थाना तुर्कपट्टी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अभिमन्यु को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना बसरेहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त वीरू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कुशीनगर/थाना कसया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 15 वर्ष के कारावास की सजा व 06 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना कसया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त देवेन्द्र को 15 वर्ष के कारावास व 06 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————